समक्ष – निदेशक/प्राचार्य .....

मैं ..... पुत्र/पुत्री श्री ..... आयु लगभग ..... वर्ष निवासी .....
.... जनपद ..... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि –

धारा–1 यह कि मैं .....जाति का छात्र/छात्रा हूँ मैने वर्ष ..... में इण्टरमीडिएट की परीक्षा पास की है उसके उपरान्त मैने किसी अन्य संस्था से छात्रवृत्ति हेतु आवदेन नहीं किया है। वर्तमान सत्र ..... में मैने आपकी संस्था .... में ..... में प्रवेश लिया है। मुझे यह ज्ञात है कि संस्था का शिक्षण शुल्क रू0 ..... है। मैं शुल्क–प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति के लिए आवदेन करूंगा/करूंगी, यदि मुझे शुल्क–प्रतिपूर्ति प्राप्त होती है तो मैं प्राप्त शुल्क–प्रतिपूर्ति की राशि रू0 ..... संस्था में जमा करूंगा/करूंगी, अन्यथा की स्थिति में मुझ पर विधिक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाये जो मुझे मान्य होगी। शुल्क प्रतिपूर्ति न प्राप्त होने की दशा में मैं प्रवेश के समय हुई वार्ता के अनुसार शिक्षण शुल्क जमा करूंगा/करूंगी। मुझे यह ज्ञात है कि छात्रवृत्ति नियमानुसार यदि संस्था में उपस्थिति 80% से कम होती है तो संस्था द्वारा छात्रवृत्ति फार्म फारवर्ड नहीं किया जाएगा और न ही संस्था पर फारवर्ड करने के लिए किसी प्रकार का दबाव बनाया जाएगा।

धारा–2 यह कि मैं संस्था में रैगिंग जैसे घृणित कार्य में कभी भी सम्मिलित नहीं होऊँगा/होऊँगी एवं कैम्पस के अन्दर मर्यादा का पालन करते हुए अच्छे व्यवहार एवं आचरण का प्रदर्शन करूँगा/करूँगी। मैं संस्था के किसी भी अध्यापक, कर्मचारी एवं छात्र/छात्रा के साथ ऐसा व्यवहार नही करूंगा/करूंगी, जिससे कि उन्हें मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना मिले।

धारा–3 यह कि ..... प्रशिक्षण अवधि में किसी भी वैतनिक या अवैतनिक पद पर कार्य नहीं करूंगा/करूंगी।

धारा–4 यह कि ..... प्रशिक्षण अवधि में उसके समकक्ष किसी भी नियमित(Regular) जैसे सत्र/कोर्स (जैसे कि बी.ए./बी.एस.सी./बी.काम. आदि) में प्रवेश नहीं लूंगा/लूंगी।

धारा–5 यह कि मैं संस्था के दिये गये समयानुसार अपनी फीस जमा करूंगा/करूंगी न करने की दशा में संस्था द्वारा जो भी अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाती है वह मुझे स्वीकार्य होगी।

धारा–6 यह कि यदि मैं अपना प्रवेश स्वेच्छा से निरस्त कराता/कराती हूँ तो मेरे द्वारा जमा की गयी कोई भी राशि मुझे वापस नही की जायेगी।

धारा–7 यह कि विश्वविद्यालय के नियमानुसार ..... पाठ्यक्रम में संस्था में 80% उपस्थिति अनिवार्य है। मुझे यह ज्ञात है कि यदि उपस्थिति 80% से कम पायी जाती है तो छात्र आन्तरिक एवं विश्वविद्यालय की परीक्षा देने से वंचित हो जाएगा एवं उसके विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। साथ ही विश्वविद्यालय की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अतिआवश्यक है कि छात्र/छात्रा विषम/सम सेमेस्टर के प्रथम एवं द्वितीय सेशनल परीक्षा में सम्मिलित हो। यदि किसी कारणवश प्रथम अथवा दोनों ही सेशनल में छात्र/छात्रा अनुपस्थित रहता है तो निदेशक की अनुमति लेने के उपरान्त ही तृतीय अथवा अन्तिम सेशनल की परीक्षा दे सकेगा।

धारा–8 यह कि यदि किसी कारणवश अस्वस्थ होता हूँ तो अस्वस्थ होने के तीन दिन के अन्दर एक प्रार्थना–पत्र (चिकित्सक के पर्चे के साथ) संस्था में उपलब्ध कराऊंगा/कराऊंगी एवं पूर्णतयाः स्वस्थ होने पर चिकित्सा प्रमाण पत्र (निर्मित होने के विलम्बतः पांच कार्य दिवस मे) प्रस्तुत करना होगा। चिकित्सा प्रमाणपत्र तभी मान्य होगा जब विद्यार्थी की उपस्थिति संस्था में 65% होगी।

मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपर्युक्त में से किसी भी अनुचित कार्य में मुझे लिप्त पाया जाता है तो संस्था के निदेशक/प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि वे मुझे संस्था से निष्कासित कर दे, स्कालरशिप अथवा अन्य मिलने वाली सुविधाओं को रोक दे अथवा परीक्षाफल रोक दें। इस प्रकार कोई भी दण्डात्मक कार्यवाही किये जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

अभिभावक के हस्ताक्षर

छात्र के हस्ताक्षर